

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, घाक्रिमगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 107 दिनांक 21/05/2019

प्रार्थी किशन लाल अरोड़ा जी श्री गुलशन जी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानाचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8,942/- पत्र

जरिये रसीद संख्या 1028/112, 5/3

दिनांक 21/05/19 का जमा करा दी है।

सुदीप कुमार

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

किशन लाल अरोड़ा

नक्शा प्राप्त किया।

जी+1
आवासीय

P.No 5 सं 22 पौपालनी

है। अलिंग वॉर्ड